[illegible] पत्रावली
[illegible] आदेश
[illegible] हेतु दिनांक 16/10/19 को
पेश हो। 22/9

[illegible] के आवेदक उप पं.
डा. माहर [illegible] पर है। पत्रावली
वास्ते [illegible] कार्यवाही हेतु
दिनांक 23/10/19 को पेश हो।

23/10/19 पत्रावली प्रस्तुत। श्री भंवरलाल शर्मा अधिवक्ता ने 'No Instraction by Parties' का कथन किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा वादीगण को रुक-रुक कर बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण अधिवक्तागण भी उपस्थित नहीं होने पर उनके हद तक का काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

22/9

23/10/19